राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
खाद्य भवन, भू–तल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

दिनांक 12.06.2014 को प्रातः 9.30 बजें माननीय मुख्यसचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कार्यकारी समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 12.06.2014 को प्रातः 9.30 बजें माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन समिति कक्ष प्रथम, शासन सचिवालय में किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारीगणों का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

बैठक में सर्वप्रथम शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग ने बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं से अवगत कराया। विचार विमर्श के पश्चात निम्न निर्णय लिये गये :–

1. निदेशक, मौसम विभाग ने इस वर्ष मानसून की स्थिति एवं अलनीनो के प्रभाव से अवगत कराया। इसका प्रभाव उत्तर–पूर्वी राज्यों में यथा– उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि राज्यों में रहेगा। इस कारण मानसून की गति कमजोर होने की स्थिति बन गयी है।

2. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग ने वर्तमान में एस.डी. आर.एफ. में उपलब्ध राशि एवं एन.डी.आर.एफ. से प्राप्त होने वाली राशि से अवगत कराया। मानसून के कमजोर रहने एवं वर्षा की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति, सूखा की स्थिति उत्पन्न होने पर विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराया गया। पूर्व वर्षो में रोजगार अकाल राहत कार्य के तहत दिया जाता था, किन्तु अब मनरेगा में 150 दिन का रोजगार दिया जाता है, से अवगत कराया गया। वर्षा नहीं होने एवं भीषण सूखे की स्थिति पर अगस्त माह में एस. डी.एम.ए. की बैठक के उपरान्त गिरदावरी जल्दी कराने के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। पूर्व से तैयारी करने के लिए जिला कलेक्टरों को पत्र लिखने के निर्देश दिये।

3. राज्य सरकार के विभागों को भी सूखे की स्थिति उत्पन्न होने पर 'अपने अपने विभाग का कन्टिन्जेन्सी प्लान बनाने के निर्देश दिये, जिसके तहत कृषि विभाग द्वारा क्रोप कन्टिन्जेन्सी प्लान बनाना, जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था का कन्टिन्जेन्सी प्लान बनाना, खाद्य विभाग द्वारा आमजन को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्लान बनाने के निर्देश दिये।

4. रोजगार सृजन हेतु मनरेगा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने पर जोर दिया, जिसके तहत Line department जैसे PWD, Forest, Irrigation department द्वारा मनरेगा के कुल कार्यो।का 15 प्रतिशत तक कार्य अपने विभागों के तहत कराने के लिए प्रयास किया जावे।

5. संवत 2070 में अभावग्रस्त जिलों में राहत गतिविधियाँ यथा पेयजल, अनुग्रह राशि, पशु संरक्षण गतिविधियाँ आवश्यकता होने पर 30 दिन से 60 दिन एवं 60 दिन से 90 दिन या अभाव अवधि 31 जुलाई, 2014, जो भी पहले हो, तक बढाने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

22, दिनांक - 30-6-2014

शासन सचिव 30/6/14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

6006-22 30/6/2014

1. निजी सचिव एवं उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव (इन्फ्रास्ट्रक्चर) राज0, जयपुर
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, जयपुर
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, कृषि विभाग, जयपुर
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, जयपुर
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, जयपुर
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज0, जयपुर
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर
14. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, जयपुर
15. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर
16. निजी सचिव, निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम(मनरेगा)
17. निदेशक, मौसम विभाग, जयपुर

संयुक्त शासन सचिव